



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11022026-270037
CG-DL-E-11022026-270037

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 86]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 5, 2026/माघ 16, 1947

No. 86]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 5, 2026/MAGHA 16, 1947

भारतीय उपचर्या परिषद्

प्रत्याहार आदेश

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2026

फा. सं. 18-13/सरकार/2024-आईएनसी:-समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है:-

जबकि, हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित निम्नलिखित संस्थानों को राज्य सरकार तथा हिमाचल प्रदेश नर्सिंग एंड मिडवाइक्स काउंसिल द्वारा नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता दी गई थी।

वहीं, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14 के तहत मान्यता वापस लेने हेतु प्रधान सचिव (गृह और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, हिमाचल प्रदेश सरकार, कमरा संख्या 623, आर्मडेल भवन, शिमला-171002, हिमाचल प्रदेश को एक नोटिस संख्या 18-13/सरकार/2024-आईएनसी (63671) दिनांक 22.11.2024 को जारी किया गया था। दिनांक 22.11.2024 को जारी नोटिस की एक प्रति हिमाचल प्रदेश नर्सिंग एंड मिडवाइक्स काउंसिल को भी भेजी गई थी। जारी किए गए नोटिस में, राज्य सरकार से नर्सिंग संस्थानों की उपयुक्तता के संबंध में अपनी सिफारिशें परिषद् को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

चूंकि, निम्नलिखित संस्थानों की उपयुक्तता के संबंध में परिषद् को राज्य सरकार या हिमाचल प्रदेश नर्सिंग एंड मिडवाइक्स काउंसिल से कोई टिप्पणी या सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।

वहीं, परिषद् ने इस मामले पर पूरी तरह से विचार किया है। भारतीय उपचर्या परिषद् के तस्तावेज दर्शाते हैं कि ये संस्थान कई वर्षों से वैधानिक निरीक्षण के लिए आवेदन करने में विफल रहे हैं और नर्सिंग कार्यक्रम संचालित करने के लिए अपर्याप्त/अनुपयुक्त पाए गए हैं।

अतः, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14(3)(बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् यह घोषणा करती है कि दिनांक 19.03.2025 से, निम्नलिखित संस्थानों से मान्यता प्राप्त योग्यता धारक प्रत्येक व्यक्ति केवल हिमाचल प्रदेश राज्य में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

संस्थानों की सूची:—

1. जीएनएम ट्रेनिंग स्कूल बिलासपुर, जिला अस्पताल, बिलासपुर, जिला बिलासपुर-174001, हिमाचल प्रदेश (एएनएम)
2. के एन अस्पताल, शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश (जीएनएम)
3. फ्लोरेंस स्कूल ऑफ नर्सिंग, फ्लोरेंस एडुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश (जीएनएम)
4. कुल्लू वैली नर्सिंग स्कूल, सेशन हाउस के सामने, शास्त्री नगर, हिमाचल प्रदेश (जीएनएम)
5. परमार्थ स्कूल ऑफ नर्सिंग, वार्ड नं. 6, मकान नं. 129, गांधी नगर, हिमाचल प्रदेश (जीएनएम)
6. कांगड़ा वैली कॉलेज ऑफ नर्सिंग, डाक बिरता, कांगड़ा-धर्मशाला राष्ट्रीय राजमार्ग, ग्राम बिरता, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा-176001, हिमाचल प्रदेश (जीएनएम और बी.एससी. नर्सिंग)
7. भारतीय प्रबंधन प्रौद्योगिकी एवं शोध संस्थान, लोअर बेसल, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश (बी.एससी. नर्सिंग)
8. नंदा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, नंदा हॉस्पिटल, हमीरपुर रोड, ऊना, जिला ऊना-174303, हिमाचल प्रदेश (बी.एससी. नर्सिंग)
9. चरख नर्सिंग इंस्टीट्यूट, ग्राम व पोस्ट नोगली, रतन रीजेंसी के पास, शिमला, जिला शिमला-172001, हिमाचल प्रदेश (बी.एससी. नर्सिंग)
10. कुल्लू वैली कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्राम साराबाई, डाक भुंतर, तहसील भुंतर, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश (बी.एससी. नर्सिंग)
11. वी वी एम इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, ग्राम मलकवाल डाक खवाड़ा, नूरपुर, जिला कांगड़ा-176211, हिमाचल प्रदेश (पी.बी.बी.एससी. नर्सिंग)

डॉ० टी० दिलीप कुमार, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./661/2025-26]

INDIAN NURSING COUNCIL

WITHDRAWAL ORDER

New Delhi, the 3rd February, 2026

F. No. 18-13/Govt./2024-INC:—In exercise of the powers conferred under Section 14 of the Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—

Whereas, the following institutions located in the State of Himachal Pradesh were recognized by the State Government and the Himachal Pradesh Nurses & Midwives Council to conduct nursing courses.

Whereas, a notice no. 18-13/Govt./2024-INC (63671) dated 22/11/2024 for withdrawal of recognition under Section 14 of the Indian Nursing Council Act, 1947, was issued to the Principal Secretary (Home & Health & FW & Medical Education) Department of Health & Family Welfare, H.P. Secretariat, Govt of Himachal Pradesh, Room No.623 Armhdale Building Shimla 171002, Himachal Pradesh. A copy of the notice dated 22/11/2024 was also sent to the Himachal Pradesh Nurses & Midwives Council. In the notice issued, the State Government was requested to submit its recommendations to the Council regarding the suitability of the nursing institutions.

Whereas, the Council has not received any remarks or recommendation from the State Government or the Himachal Pradesh Nurses & Midwives Council regarding the suitability of the below-mentioned institutions.

Whereas, the Council has considered the matter in its entirety. The Indian Nursing Council records show that these institutions have failed to apply for statutory inspection for several years and were found deficient/unsuitable for conducting nursing programmes.

Now therefore, the Council, exercising powers under Section 14(3)(b) of the Indian Nursing Council Act, 1947, hereby declares that with effect from 19/03/2025, **any person holding a recognized qualification from the following institutions shall be entitled to be registered only in the State of Himachal Pradesh.**

List of Institutions:

1. GNM Training School Bilaspur, District Hospital, Bilaspur, Distt.- Bilaspur, Pin Code- 174001, Himachal Pradesh (ANM).
2. K N Hospital Shimla, Dist. Shimla, Himachal Pradesh (GNM).
3. Florence School of Nursing, Florence Edu & Charitable Trust Dist. Solan, Himachal Pradesh (GNM).
4. Kullu Valley Nursing School, Opp. Session House, Shastri Nagar, Himachal Pradesh (GNM).
5. Parmarth School of Nursing, W No. 6, House No. 129, Gandhi Nagar, Himachal Pradesh (GNM).
6. Kangra Valley College Of Nursing, Post Office- Birta, Kangra-Darmashala National Highway, Vill.- Birta, Tehsil- Kangra, Distt.- Kangra, Pin Code- 176001, Himachal Pradesh (GNM and B.Sc Nursing).
7. Indian Institute of Management Technology & Research, Lower Basal Dist. Una, Himachal Pradesh (B.Sc Nursing).
8. Nanda Institute Of Nursing, Nanda Hospital Hamirpur Road, Una, Distt.- Una, Pin Code- 174303, Himachal Pradesh (B.Sc Nursing).
9. Charakh Nursing Institute, Vpo- Nogli, Near Ratan Regency, Shimla, Distt.- Shimla, Pin Code- 172001, Himachal Pradesh (B.Sc Nursing).
10. Kullu Valley College of Nursing, Village Sarabai Po Bhuntar Teh Bhuntar Kullu, Himachal Pradesh (B.Sc Nursing).
11. V.V.M Institute Of Nursing, vill. Malkwal P.O Khawara, Nurpur, Distt.- Kangra, Pin Code- 176211, Himachal Pradesh (P B B.Sc Nursing).

Dr. T. DILEEP KUMAR, President

[ADVT.-III/4/Exty./661/2025-26]